न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –308 / 2023

अनवान : –

1. मदन गोपाल भाकर पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बलविन्द्र पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
3. रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।
4. सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 24/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80 / 74 की कुल 15.1390 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की वादी प्रतिवादीगण को अपने पिता नन्दराम के देहान्त के बाद विरासतन प्राप्त हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार हरियाणा में स्थित भूमि में वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज करवा दी है तथा प्रतिवादी संख्या ने रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 80 / 74 की कुल 15.1390 हैक्ट भूमि में से 14 बीघा अपने पास रखकर शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज करवाने का समझौता किया हुआ है तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी के मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80/74 में मदन गोपाल भाकर पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न0 310 के पूर्व दिशा में 3.501 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा न0 310/1 की 0.395 हैक्ट, खसरा न0 309 की 2.3650 हैक्ट तथा खसरा न0 308/1 की उत्तरी दिशा में 3.059 हैक्ट कुल 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 308/1/1 की 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहरतो हुए कथन किया की उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रतिवादी स0 3 व 4 का उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80/74 में मदन गोपाल भाकर पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न0 310 के पूर्व दिशा में 3.501 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा न0 310/1 की 0.395 हैक्ट, खसरा न0 309 की 2.3650 हैक्ट तथा खसरा न0 308/1 की उत्तरी दिशा में 3.059 हैक्ट कुल 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 308/1/1 की 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80/74 की कुल 15.1390 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित कृषि भूमि होना स्वीकार किया है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है तो उभयपक्ष को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80/74 में मदन गोपाल भाकर पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि की बजाय खसरा न0 310 के पूर्व दिशा में 3.501 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा न0 310/1 की 0.395 हैक्ट, खसरा न0 309 की 2.3650 हैक्ट तथा खसरा न0 308/1 की उत्तरी दिशा में 3.059 हैक्ट कुल 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 308/1/1 की 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/05/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –308/2023

अनवान : –

1. मदन गोपाल भाकर पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बलविन्द्र पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
3. रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।
4. सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर जाति जाट निवासी बेरवाला खुर्द हाल असरजाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 308 सन 2023 निर्णय दिनांक –24/5/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80/74 में मदन गोपाल भाकर पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि की बजाय खसरा न0 310 के पूर्व दिशा में 3.501 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा न0 310/1 की 0.395 हैक्ट, खसरा न0 309 की 2.3650 हैक्ट तथा खसरा न0 308/1 की उत्तरी दिशा में 3.059 हैक्ट कुल 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 308/1/1 की 5.819 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/24 को में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर